फैक्स/ईमेल

आर. रमणी
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

अ0 शा0 पत्र सं0 2091/12-04 रा0वा0/09

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-226001
फोन - 0522-2623180 (कार्या.)
3236363 (आ.)
फैक्स - 0522-2620485

दिनांक 19-4-2010

प्रिय महोदय,

प्रदेश में राजस्व न्यायिक कार्यो को उच्च प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में शासन एवं परिषद द्वारा समय-समय पर बल दिया जाता रहा है। इसी परिपेक्ष्य में विभिन्न राजस्व पीठासीन अधिकारियों के मानक परिषदादेश शासनादेश संख्या 47/नि0स0/मा0 अध्यक्ष दिनांक 18-10-1994 द्वारा निर्धारित किये गये हैं। शासनादेश संख्या डब्लू-1208(1)/ 12-09-212/09 दिनांक 24 नवम्बर 2009 द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों/परिषदादेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए राजस्व वादों के समयबद्ध एवं मानक के अनुरूप वादों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। राजस्व वादों के निस्तारण के परिपेक्ष्य में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-8-2009 में अपर जिलाधिकारी/जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्तों के लिये स्थायी निर्देश हैं कि वे जिला व तहसीलों का निरीक्षण करते समय न्यायालयों का भी निरीक्षण करें और यह विशेष तौर पर देखें कि पुराने वादों के निस्तारण की दिशा में पीठासीन अधिकारियों ने क्या पहल की है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि राजस्व वादों के त्वरित एवं नियमित निस्तारण हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों/परिषदादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या डब्लू/ 1317/1-12-05-98 रिट/2005, दिनांक 28-11-2005 तथा परिषदादेश संख्या 822/पी0एस0-अध्यक्ष/06 दिनांक 2-5-2006 व परिषदादेश संख्या 3347/12-4 (रा0वा0प्र0)/09 दिनांक 11-6-2009 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

परिषदादेश संख्या 7300/2-7डब्लू/2005 द्वारा विभिन्न राजस्व पीठासीन अधिकारियों के न्यायिक कार्य दिवसों के सम्बन्ध में अनुदेश निर्गत किये गये थे। उक्त के अनुसार जिलाधिकारी और उनके अधीनस्थ नायब तहसीलदार स्तर तक के सभी सम्बन्धित अधिकारीगण अपने न्यायालय में सप्ताह में निर्धारित चार दिन बैठकर 10 बजे से 5 बजे शाम तक न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगे। इन दिनों में इन अधिकारियों को सामान्य रूप से कोई प्रशासनिक दायित्व नही सौंपा जायेगा, जब तक कि कोई अपरिहार्यता की स्थिति न हो। इसी प्रकार प्रत्येक मण्डलायुक्त सप्ताह में कम से कम तीन दिन 10 बजे से डेढ़ बजे तक, अपर आयुक्त (प्रशासन) सप्ताह में कम से कम चार दिन 10 बजे से 2 बजे तक एवं अपर आयुक्त (न्यायिक) प्रत्येक कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे तक राजस्व वादों के निस्तारण का कार्य सम्पादित करेंगें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

अधिवक्ताओं की हड़ताल एवं न्यायालयों के बहिष्कार की स्थिति में परिषदादेश 8088/12–7(डब्लू)/2005, दिनांक 28–11–2005 में उल्लिखित मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा की गयी संवीक्षा के अनुसार कार्यवाही करें, ताकि अधिवक्ताओं की हड़ताल व न्यायालयों के बहिष्कार की स्थिति में मुकदमों में अनावश्यक तिथियॉ न लगें।

राजस्व वादों के कम निस्तारण के सन्दर्भ में परिषद द्वारा की गयी गहन संवीक्षा में पीठासीन अधिकारियों द्वारा रूचि न लेना, वादों में अनावश्यक तिथियाँ दिया जाना, गुण–दोष के आधार पर वादों का निस्तारण करने के स्थान पर अदम पैरवी में खारिज किये गये वादों को बार–बार पुर्नस्थापित किया जाना, वादों का एक न्यायालय से बार–बार दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने जैसे कारणों की प्राथमिकता पायी गयी हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने की प्रासंगिकता पर बल देते हुए परिषद द्वारा निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं :–

(i) पुराने मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। यथा सम्भव उनमें लम्बी तिथियाँ ना निर्धारित की जायें

(ii) प्रत्येक माह में निस्तारण निर्धारित मानक के साथ–साथ दायर वादों की संख्या से कहीं ज्यादा होना चाहिये, तभी पुराने लम्बित वादों की संख्या में कमी आयेगी।

(iii) जनपद एवं मण्डल स्तर पर बैठकों का आयोजन करते समय यह देखा जाये की इससे पीठासीन अधिकारियों द्वारा सम्पादित न्यायिक कार्य प्रभावित न हो।

(iv) कानून व्यवस्था तथा विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन हेतु ड्यूटियाँ लगाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये की इससे न्यायिक कार्य न्यूनतम प्रभावित हो।

परिषद स्तर पर यह अनुभव किया गया है कि विभिन्न राजस्व न्यायालयों में भारी संख्या में एक वर्ष से अधिक पुराने वाद लम्बित हैं। इस सम्बन्ध में पुराने लम्बित सभी वादों की समीक्षा करते हुए एक रूपरेखा तैयार करायें जिससे एक वर्ष से अधिक पुराने सभी वादों का 3 माह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

इस सम्बन्ध में मैं चाहूँगा की राजस्व वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/परिषदादेशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा मासिक बैठक में इनके अनुपालन की समीक्षा करते हुये प्रत्येक माह की प्रगति से परिषद, को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवन्निष्ठ,

(आर0 रमणी)

समस्त मण्डलायुक्त (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

15/5/10 o/c